

कार्यालय - जिलाधिकारी
जनपद- नैनीताल

पत्रांक

दिनांक - 05/04/21

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक को जिलाधिकारी, नैनीताल की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद नैनीताल के विकास खण्ड कुदवाड़ा में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from नैनीताल-भवाली-रौनगाड़ी-सुमेलवाड़ा (Total Length 46.2 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि हेतु वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस 04.04.20 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vinodhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को प्रत्यावर्तित भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव दिवे जाने सम्बन्धित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर परानगण प्रयोजन हेतु में अनुरांसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 04.04.20 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के हैंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी, नैनीताल की बैठक का कार्यवृत्त सलन्म है।

जिला पंचायत सदस्य

जिला नैनीताल
सदस्य
जिला नैनीताल
सदस्य

प्रभागीय जिलाधिकारी

समाज कल्याण अधिकारी जिला नैनीताल
समाज कल्याण अधिकारी जिला नैनीताल

जिलाधिकारी
जिला नैनीताल